<u>न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, सहारनपुर।</u>

सरकार **बनाम शिवकुमार आदि**

धारा-498 ए,323504,506 व 3/4 दहेज प्रति अधि.
थाना-कोतवाली नगर, सहारनपुर।
मु.अ. संख्या – 208/2021

<u>आदेश</u>

<u>19.05.2026</u>

मु.अ. संख्या – 208/2021 धारा– 498 ए, 323504, 506 व 3/4 दहेज प्रति अधि. थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **शिवकुमार** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी बेगुनाह है। उक्त वाद में प्रार्थी को झूठा फसाया गया है, जबकि प्रार्थी ने उक्त वाद की कोई घटना कारित नहीं की है। उक्त वाद की वादी मुकदमा ने जिस तरह की घटना दिखायी है, इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुयी है। प्रार्थी ने जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। मामला वैवाहिक/पारिवारिक सम्बन्धों से उत्पन्न दहेज प्रताड़ना आदि से सम्बन्धित है। दहेज प्रताडना आदि के मामलों में सुलह–समझौते की संभावना सदैव विद्यमान रहती है। मामले के तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने एवं मामले को जिला सुलह एवं मध्यस्थता केन्द्र (मीडियेशन सेन्टर) सहारनपुर भेजा जाना न्यायोचित है।

अभियुक्त **शिवकुमार** द्वारा **25 हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, अंतरिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तो पर रिहा किया जाता है।

1– अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 को जिला सुलह एवं मध्यस्थता केन्द्र (मीडियेशन सेन्टर) सहारनपुर में उपस्थित होंगे।

2– आदेश की एक प्रति एवं प्रकरण को जिला सुलह एवं मध्यस्थता केन्द्र (मीडियेशन सेन्टर) सहारनपुर को अवलिम्ब प्रेषित हो।

3– अभियुक्त जिला सुलह एवं मध्यस्थता केन्द्र (मीडियेशन सेन्टर) सहारनपुर में कार्यवाही समाप्त होने तक अंतरिम जमानत पर बने रहेंगे एवं जिला सुलह एवं मध्यस्थता केन्द्र (मीडियेशन सेन्टर) सहारनपुर के अंतिम निष्कर्ष के उपरान्त न्यायालय में दिनांक 04.06.2026 को पुनः नियमित जमानत की सुनवाई हेतु उपस्थित हो। मिडिएशन सेन्टर अपनी आख्या तीन माह पश्चात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

ए०सी०जे०एम० – तृतीय
सहारनपुर

Digitally signed by ASHUTOSH TIWARI
Date: 2026.05.21 11:58:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court